कार्यालय, झारखण्ड गो सेवा आयोग, राँची।

(पशुपालन भवन, द्वितीय तल, हटिया, हेसाग, राँची–834003)
Email ID:- jhgosewaayog@gmail.com

संचिका संख्याः–झा॰गो॰से॰आ॰राँची / इच्छा की अभिव्यक्ति / 03 / 2023–24

''इच्छा की अभिव्यक्ति'' का आमंत्रण

झारखण्ड गो सेवा आयोग राँची द्वारा गोवंशीय पशुओं से होने वाले लाभों का प्रचार प्रसार, गोबर प्रसंस्करित उत्पाद के निर्माण से रोजगारोंन्मुखी महिला सशक्तिकरण हेतु पाँच दिवसीय सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यशाला कार्य के निमित एजेन्सी / गैर सरकारी संस्था के चयन के लिए ''इच्छा की अभिव्यक्ति'' का आमंत्रण।

कार्यक्षेत्रः– राँची जिले के दस प्रखण्ड। प्रत्येक प्रखण्ड से 20 महिलाओं का समुह।

प्रशिक्षण अवधिः– प्रत्येक प्रखण्ड में 5 दिवसीय सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यशालाः–

1	''इच्छा की अभिव्यक्ति'' संबंधित दस्तावेज (निःशुल्क) प्रपत्र प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि	01.03.2024
2	''इच्छा की अभिव्यक्ति'' संबंधित दस्तावेज प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	06.03.2024
3.	''इच्छा की अभिव्यक्ति'' जमा करने की अंतिम तिथि	07.03.2024 (अपराह्न 02:00 बजे तक)
4.	''इच्छा की अभिव्यक्ति'' संबंधित आवेदन खोलने की तिथि	07.03.2024 (अपराह्न 03:00 बजे तक)

इच्छा की अभिव्यक्ति संबंधी प्रस्ताव प्राप्त करने एवं जमा करने का स्थानः– सचिव, झारखण्ड गो सेवा आयोग, राँची, द्वितीय तल, पशुपालन भवन, हेसाग, हटिया, राँची–834003

प्रशिक्षण विषयः–

- गोबर उत्पादों के विभिन्न प्रकार और उनके उपयोग
- कच्चे माल की तैयारी (गोबर का संग्रहण, सुखाना, पीसना आदि)
- धूपबत्ती, अगरबत्ती, मूर्तियाँ और मूर्तियों को बनाने की प्रक्रिया
- उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण और पैकेजिंग
- विपणन और उद्यमिता विकास

इच्छा के अभिव्यक्ति के लिए पात्रता

1. एजेन्सी / गैर सरकारी संस्था एक निबंधित (झारखण्ड राज्य में निबंधित संस्था को प्राथमिकता दी जाएगी) संस्था होनी चाहिए।

2. एजेन्सी / गैर सरकारी संस्था का पैन, जी०एस०टी० नम्बर अनिवार्य एवं गत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न दस्तावेज वांछनीय होगा।
3. एजेन्सी / गैर सरकारी संस्था को अपने संस्थान के Non Black Listed संबधी एवं झारखण्ड गो सेवा आयोग के अनुश्रवण तथा निर्देशों का पालन करने संबंधी शपथ पत्र जमा करना होगा।
4. एजेन्सी / गैर सरकारी संस्था को उक्त कार्यों का अनुभव होना चाहिए। (आवेदन के साथ संबंधित अभिलेख / प्रमाण पत्र संलग्न होगा)

सामान्य निर्देश

5. प्रशिक्षण के आयोजन हेतु दस प्रखण्ड का चयन इस प्रकार किया गया हैः–
काँके, नामकोम, अनगड़ा, चान्हों, माण्डर, रातु, खलारी, बुढ़मू बेड़ो एवं नगड़ी
6. चयनित प्रखण्ड के अन्तर्गत 20 महिला लाभुकों का चयन, चयनित एजेन्सी को स्वंय अपने स्तर से करन होगा। चयन हेतु निम्नवर्णित निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगाः–

6.1 महिला लाभुक की उम्र 18–60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए (आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा)।

6.2 महिला संबंधित प्रखण्ड की निवासी होनी चाहिए।

6.3 महिला परिवार में गोवंश (गाय, बैल, बछड़ा बाछी) होनी चाहिए। (संबंधित आवेदन वार्ड मेम्बर / मुखिया / जनप्रतिनिधि द्वारा अनुसंशित होनी चाहिए)

7. कार्य के निष्पादन एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु आवश्यक संसाधन यथा मशीन, सांचा, पेंट, सामग्री, ब्रश, चटाई बोर्ड एवं अन्य आवश्यक सामग्री की उपलब्धता होनी चाहिए। प्रशिक्षण कार्य हेतु अन्य अवश्यक संसाधन यथा बैठने के लिए कुर्सी, टेबल इत्यादि संबंधित एजेन्सी को वहन करना होगा इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक संसाधन यथा बैठने के लिए कुर्सी, टेबल इत्यादि संबधित एजेन्सी को वहन करना होगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को जलपान / दोपहर का शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध कराना होगा जिसका वहन संबंधित एजेन्सी को करना होगा। संबंधित भौतिक संसाधन तथा मानव संसाधन एजेन्सी / गैर सरकारी संस्था को अपने स्तर से उपलब्ध कराना होगा। (आवेदन के साथ उक्त का ब्यौरा संलग्न करना होगा।)
8. गोबर प्रसंस्करण उत्पाद निर्माण के प्रशिक्षण संबंधित प्रस्ताव प्रत्येक प्रखण्ड के लिए अलग–अलग सीलबंद लिफाफा में समर्पित करना होगा।
9. उपरोक्त वर्णित प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रति शिविर अधिकतम राशि रू० 40,000 / – (चालीस हजार रूपया) मात्र रू० 2000 / – (दो हजार) देय होगी।
10. न्यूनतम निविदत दर का प्रखण्डवार चयन कर कार्य आवंटन किया जा सकेगा।

11. आवेदन एवं अनुभव से संबंधित प्रस्ताव हेतु एक सीलबंद लिफाफा (प्रस्ताव के साथ) वर्णित प्रखण्ड में कार्य किए जाने हेतु न्यूनतम निविदित दर संबंधित प्रस्ताव अलग लिफाफा में सीलबंद कर देना होगा। तकनीकी प्रस्ताव के लए एक लिफाफा परन्तु वित्तीय प्रस्ताव हेतु प्रखण्डवार अलग–अलग सीलबंद लिफाफा में देना होगा जिससे प्रखण्डवार प्राप्त कुल वित्तीय प्रस्ताव को सूचिबद्ध करते हुए न्यूनतम निविदित दर का निर्धारण किया जा सके। कुल दो लिफाफा यथा आवेदन एवं अनुभव से संबंधित प्रस्ताव (तकनीकी लिफाफा) एवं निविदित दर संबंधी (वित्तीय प्रस्ताव) उपरोक्त वर्णित तिथि के अनुसार वर्णित पते पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
12. विस्तृत जानकारी के लिए सचिव, झारखण्ड गो सेवा आयोग द्वितीय तल, पशुपालन भवन, हटिया हेसाग के पते पर सम्पर्क किया जा सकता है।
13. प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए गंतव्य स्थल एवं प्रारंभिक स्थल तक स्वंय के भाड़े पर लाना एवं पहुँचाना होगा।

28/2/24

सचिव,
झारखण्ड गो सेवा आयोग,
राँची।